उनवान– आदम बनाम अनात वगैरा
राजस्व वाद संख्या – 101/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :– श्री बद्रीनारायण विश्नोई (RAS)

मुकदमा नम्बर :– 101/2024
दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 Rt Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आदम पुत्र मनाई जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अनात पुत्र इब्राहीम 2. अकबर पुत्र उसमान जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :– वादीगण वकीलः– श्री भवानी शंकर
प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के वकील– श्री मुकीम खान समेजा

<u>निर्णय</u>

दिनांक 24/04/2026

वादी आदम पुत्र मनाई जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "वादी के खातेदारी का खेत मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा मे खसरा सं 377/25 रकबा 2.4281 हैक्टेयर बा.सोयम का आया हुआ है जो भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा, काश्त की है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं 1 व 2 वादी के उक्त खेत खसरा सं 377/25 रकबा 2.4281 हैक्टेयर बा. सोयम मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर के सेढ़ा पड़ौसी खातेदार है, जिनके खसरा सं 32 व खसरा सं 278/33 है। प्रतिवादी बहुत ही बदमाश व झगडालु प्रवृति के व राजनैतिक रूप से प्रभाव शाली व्यक्ति है। प्रतिवादीगण सं 1 व 2 ने अपने प्रभाव से वादी की खातेदारी भूमि खेत खसरा सं 377/25 रकबा 2.4281 हैक्टेयर कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ बीघा भूमि पर कुछ माह पूर्व जबरन कब्जा कर लिया था जिसकी जानकारी वादी को नेखमबन्दी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् हुई। वादी ने अपने खेत खसरा सं 377/25 रकबा 2.4281 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मे आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जो राजस्व आवेदन सं 386/2022 उनवान आदम बनाम कादर वगैरा

सहायक कलक्टर सेड़वा
सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

है। माननीय न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन को स्वीकार कर वादी के खेत की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया, जिस क्रम मे तहसीलदार सेड़वा के आदेश के निर्देशानुसार हल्का पटवारी मौजा चिचड़ासर ने दिनांक 07.07.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौके की जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका नक्शा तैयार किया गया जिस पर वादी के खसरा सं 377/25 में प्रतिवादी सं 1 व 2 का अवैध कब्जा होना पाया गया, जिसमे वादी के खसरा सं 377/25 मे प्रतिवादी सं 1 अनात का करीब 0.18 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं 2 अकबर का करीब 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया, जो भूमि मौका नक्शा मे स्पष्ट रूप से क्रमशः हरा व आसमानी DE दर्शाया गया है। वक्त मौका निरीक्षण प्रतिवादीगण का अवैध रूप से कब्जा काश्त व कब्जा बाड़ कर अतिक्रमण करना पाया गया, जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा, परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं हटाया तथा कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया। जिस पर अवैध कब्जा हटाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की वादी को सलाह दी गई। इसलिए वादी प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के अवैध कब्जे को हटवाने के अधिकारी है, जिस हेतु वाद प्रस्तुत नकल फर्द मौका एवं मौका साथ प्रस्तुत है। मौका फर्द दिनांक 07.07.2024 को वाद का अभिन्न अंग समझा जावें। प्रतिवादी सं 1 व 2 ने वादी की जमीन को हड़पने के लिये उस पर जबरन कब्जा कर लिया है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए वादी अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के अधिकारी है, इस हेतु वाद प्रस्तुत है। वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व काश्त की खातेदारी की भूमि में से जो रकबा 0.18 व 0.25 हैक्टेयर की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है पर निर्माण कराने एवं शेष भूमि पर भी आदम बनाम अनात वगैरा कब्जा करने के लिए उतारू है इस कारण वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, जिस हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत है। वादी का निवेदन है कि निम्नाकित डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें–

(क) वादी के खातेदारी का खेत मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा मे खसरा सं 377/25 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं 1 व 2 ने जबरन अवैधानिक

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

रूप से कब्जा कर रखा है, जो नेखमबन्दी प्रकरण सं 386 / 22 की मौका फर्द मे दर्शाए गये अवैध कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा पुलिस ईमदाद के साथ वादी को दिलाया जावें।

(ख) वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण द्वारा अवैध किए गए कब्जे की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं कराए और न ही वादी की खातेदारी की शेष भूमि पर कब्जा करें।"

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकीम खान समेजा ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया, इसलिए उनका जवाब का अवसर बंद किया गया। वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW-1 आदम पुत्र मनाई जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर व PW-2 कादरखां पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाडमेर का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01(ई.एक्स.पी.01) जमाबंदी मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर, भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 12 खसरा संख्या 377 / 25 रकबा 2–4281 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि, प्रदर्श 02(ई.एक्स.पी.02) नंखमबंदी मौका फर्द दिनांक 07.07.2024 मौजा समावली पटवार हल्का चिचड़ासर, भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खाता संख्या नया 12 खसरा संख्या 377 / 25 रकबा 2–4281 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

वकील वादी उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया। उन पर वादी वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से युक्तियुक्त चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

उपरांत, वादी का वाद संख्या 101/2024 उनवान आदम बनाम अनात वगैरा अन्तर्गत धारा 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 07.07.2024 में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा समावली पटवार मण्डल चिचड़ासर तहसील सेड़वा के खाता संख्या 12 खसरा संख्या 377/25 रकबा 2–4281 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि पर बरंग हरा रकबा 0–18 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 का व बरंग आसमानी रकबा 0–25 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 02 का वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को जबरन अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोर्ट(प्रदर्श 02) दिनांक 07.07.2024 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से एक कम हो।

सहायक कलेक्टर सेड़वा

निर्णय आज दिनांक 24/04/2026 को खुले न्यायालय/सरे सरे इजलास सुनाया गया।

(बदीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO)